भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-02

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

द्वारा जारी विज्ञापन

***2. श्री सालिम अन्सारीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विगत छः महीनों के दौरान अपनी विवरणिकाओं/स्मारिकाओं को प्रकाशित करवाने के प्रयोजन से ऐसे प्रकाशनों हेतु कौन-कौन से महासंघों/संगठनों को विज्ञापन दिए गए और ऐसे प्रत्येक प्रकाशन हेतु कितनी-कितनी धनराशि अदा की गई;

(ख) क्या पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नियमित मासिक/द्वैमासिक पत्रिकाओं के स्थान पर विवरणिकाओं/स्मारिकाओं को तरजीह दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत छः महीनों के दौरान मासिक/द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोध पत्रों का ब्यौरा क्या है और उक्त ऐसी पत्रिकाओं के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें विज्ञापन दिए गए हैं तथा चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 02 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा जिन महासंघों/संगठनों को विगत छः महीनों के दौरान उनकी विवरणिकाओं/स्मारिकाओं के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे उनके नाम तथा प्रत्येक प्रकाशन के लिए भुगतान की गई राशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इन विज्ञापनों को जारी करने का उद्देश्य समाज के विभिन्न भागों में अपनी साख बनाना और कारपोरेट छवि स्थापित करना था।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : विगत छः महीनों के दौरान मासिक/द्विमासिक पत्रिकाओं से प्राप्त अनुरोध पत्रों के ब्यौरे और जिन पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए हैं, इनके नाम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

जहाँ तक पत्रिकाओं के चयन की प्रक्रिया का संबंध है, पीजीसीआईएल, बजट उपलब्धता और प्रचार आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी करता है।

****

अनुबंध-I

"पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

पावरग्रिड द्वारा विगत छः महीनों के दौरान जिन महासंघों/संगठनों को उनकी विवरणिकाओं/स्मारिकाओं के लिए, जिनके विज्ञापन जारी किए गए थे उनके नाम :

क्रम सं.	**फेडरेशन/संगठन का नाम**	**भुगतान की गई राशि (रुपए में)**
1	सेंट जेवियर कॉलेज, रांची	10000
2	श्री स्वामीनाथ स्वामी सेवा समाज	15000
3	ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन	25000
4	एक्स-ओएनजीसी एम्प्लॉईज एसोसिएशन	25000
5	मोतीबाग नानकपुरा पूजा समिति	20000
6	सर्वोजनीन दुर्गोत्सव समिति	20000
7	पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया (पीआरएसआई)	10000
8	आईडब्ल्यूपीसी (इण्डियन वूमेन्स प्रेस कॉर्प्स)	50000
9	वैशाली कल्चरल एसोसिएशन	2000
10	सुशांत लोक कल्चरल सोसायटी	6000
11	प्राची सर्बोजनीन मैत्रीबंदना वेलफेयर सोसायटी	10000
12	इन्द्रप्रस्थ मैत्री मंदिर निर्माण सोसायटी	4000
13	दिल्ली दुर्गा चैरिटेबल एण्ड कल्चरल समिति	5000
14	सर्बोजनीन दुर्गा पूजा समिति	3000
15	को-ऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति	8000
16	एकोटान कालीबाड़ी ओ सेवा समिति	4000
17	चितरंजन पार्क काली मंदिर सोसायटी	5000
18	एम.बी. रोड दुर्गा पूजा समिति	5000
19	एफोर्ट्स ग्रुप, ऐल्डर डे सेलीब्रेशन, दिल्ली मैग्जीन्स	20000
20	भारतीय विद्या भवन	30000

****

अनुबंध-II

"पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत छः महीनों के दौरान मासिक/द्विमासिक पत्रिकाओं से प्राप्त अनुरोध पत्रों के ब्यौरे और जिनके लिए विज्ञापन दिए गए हैं उनके नाम

क्रम सं.	उन पत्रिकाओं के नाम जिनसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं	जारी किए गए/जारी नहीं किए गए
1	मोटोस इण्डिया, वार्षिक स्मारिका	जारी किए गए
2	इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर	जारी किए गए
3	लफ्ज (महफिल-ए-अदब रास-रंग)	जारी किए गए
4	ब्यूरोक्रेसी टुडे	जारी किए गए
5	अभिनव मीमांसा	जारी किए गए
6	बिजनेस टुडे	जारी किए गए
7	इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली	जारी किए गए
8	कौमुदी	जारी किए गए
9	शिल्पा बिचित्र	जारी किए गए
10	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (नंदन)	जारी किए गए
11	सन्मार्ग प्रा. लि.	जारी किए गए
12	भारतीय भाषा एवं केंद्र	जारी किए गए
13	नया पथ	जारी किए गए
14	लोकनायक जयप्रकाश स्टडीज डेवलेपमेंट (जय प्रभा)	जारी किए गए
15	इण्डिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलेपमेंट स्टडीज (सोपान स्टेप)	जारी किए गए
16	महिला अधिकार अभियान	जारी किए गए
17	सीआरपीएफ, हाफ मैराथन, दिल्ली	जारी किए गए
18	प्रेस क्लब ऑफ इण्डिया	जारी किए गए
19	आईडब्ल्यूपीसी (इण्डियन वूमेन्स प्रेस कॉर्प्स)	जारी किए गए
20	पावर लाइन (इण्डिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्रा. लि.)	जारी नहीं किए गए
21	न्यू मीडिया (सीएसआर मेनडेट)	जारी नहीं किए गए
22	फॉर्ब्स	जारी नहीं किए गए
23	शुभ यात्रा (फ्लाइट मैग्जीन)	जारी नहीं किए गए
24	जन जन तक	जारी नहीं किए गए
25	वॉइस सोसायटी	जारी नहीं किए गए
26	नई सदी	जारी नहीं किए गए
27	फोकस	जारी नहीं किए गए
28	एएएचई महाबहू	जारी नहीं किए गए
29	आरोग्य संगीता	जारी नहीं किए गए
30	शिल्पायन	जारी नहीं किए गए
31	मीडिया टुडे	जारी नहीं किए गए
32	एग्रीकल्चर टुडे	जारी नहीं किए गए
33	बीबीएन टुडे	जारी नहीं किए गए
34	पीपुल्स विक्ट्री	जारी नहीं किए गए
35	महाराजा अग्रसेन समाचार	जारी नहीं किए गए

36	सीजनल मैग्जीन	जारी नहीं किए गए
37	रेल बंधु	जारी नहीं किए गए
38	फ्लेयर टाक	जारी नहीं किए गए
39	इण्डियन ड्रीम	जारी नहीं किए गए
40	तीखी मिर्ची	जारी नहीं किए गए
41	स्कोप	जारी नहीं किए गए
42	दिल्ली सियासत	जारी नहीं किए गए
43	फॉर्च्यून इण्डिया	जारी नहीं किए गए
44	द ट्रेड फेयर	जारी नहीं किए गए
45	लाईफ पॉजिटिव	जारी नहीं किए गए
46	प्रेस न्यूज ऑफ इण्डिया	जारी नहीं किए गए
47	जाह्नवी	जारी नहीं किए गए
48	वैल्यू रिसर्च	जारी नहीं किए गए
49	बिजनेस एट जीरो आवर	जारी नहीं किए गए
50	दलित आवाज	जारी नहीं किए गए
51	इण्डिया टेलिंग	जारी नहीं किए गए
52	उदय इण्डिया	जारी नहीं किए गए
53	नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट	जारी किए गए

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-18

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण प्रणाली की खराब हालत

***18. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत पारेषण प्रणाली खराब हालत में है और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत पारेषण प्रणाली की खराब हालत" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी नहीं । देश में काफी बड़ी एवं सुदृढ़ पारेषण प्रणाली है । इसमें अक्टूबर, 2014 तक 220 केवी की लगभग 3,03,051 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) और इससे अधिक के स्तर की पारेषण लाइनें तथा लगभग 5,65,905 एमवीए (मेगावोल्ट एम्पियर) की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता थी। सभी क्षेत्रीय ग्रिड अर्थात उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और समकालिक रूप से प्रचालित हो रहे हैं।

(ग) : विद्युत की मांग में वृद्धि और उत्पादन क्षमता के अनुरूप ग्रिड का सुदृढ़ीकरण और विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। 12वीं योजना के दौरान, 1,07,440 सीकेएम की पारेषण लाइनों का निर्माण करने और 2,82,750 एमवीए की रूपांतरण क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की तुलना में, 46,593 सीकेएम की पारेषण लाइनें और 1,59,847 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पहले ही चालू कर दी गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-19

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम

***19. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों के दौरान मांग और आपूर्ति के अन्तर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों से उचित कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को मदद प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

केन्द्र सरकार विद्युत की आपूर्ति में आ रही कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

(i) 12वीं योजना के लिए पारम्परिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में, 48,026 मेगावाट की अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त कर ली गई है।

(ii) 12वीं योजना के लिए 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों और 2,82,740 एमवीए ट्रान्सफार्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में, 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,56,354 एमवीए ट्रान्सफार्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।

(iii) सरकार द्वारा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि-फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है।

(iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।

(v) विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई जाती है।

(vi) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा दूर किया जा रहा है।

(vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता और मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन।

(viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।

(ix) पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-80

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण अवसंरचना की स्थिति

80. श्रीमती जया बच्चनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत वितरण की घटिया अवसंरचना की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इसे सुधारने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का इसके लक्ष्यों और अपेक्षित बजट सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत के वितरण का उत्तरदायित्व वितरण लाइसेंसी का होता है । तथापि, राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता देती है । वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ।

(i) **पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) :** पुनर्गठित एपीडीआरपी को सूचना प्रोद्यौगिकी समर्थ बनाने और वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 51,577 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय सहित 31.07.2008 को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था । इस कार्यक्रम में 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-नगरों और शहरों को शामिल किया गया है ।

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती है । भाग 'क' बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख तथा वार्षिक ऊर्जा इनपुट 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा और स्काडा हेतु सूचना प्रोद्योगिकी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए है जबकि भाग 'ख' नियमित वितरण उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण

परियोजनाओं के लिए है । आरंभ में दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भाग 'क' परियोजनाओं के लिए ऋण की समग्र राशि को परियोजना के पूरा होने पर अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और भाग 'ख' परियोजनाओं के ऋण का 50% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) तक का भाग स्थाई आधार पर परियोजना क्षेत्र में 15% एटी एंड सी हानि होने पर अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा । भाग 'क' और भाग 'ख' दोनों परियोजनाओं के लिए पूर्णता अवधि मंजूरी की तारीख से 5 वर्ष है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत् 1412 नगरों को शामिल करते हुए 39,252 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ।

(ii) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) :** भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ देश में सभी घरों को बिजली की पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए 10वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की थी । इस स्कीम को 34,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ 11वीं योजना में जारी रखा गया था । भारत सरकार ने 35,447 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ 12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है ।

अब तक देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिनांक 31.10.2014 तक 1,08,703 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3.12 लाख आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का तीव्र विद्युतीकरण और 2.20 करोड़ बीपीएल घरों को बिजली के कनेक्शन जारी किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त 23,578.29 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों 2,31,935 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और 133.2 लाख बीपीएल घरों को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के दौरान 273 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है ।

(iii) **राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) :** भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना को सुधारने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए पूंजी कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की शुरूआत की थी । राष्ट्रीय विद्युत निधि 2 वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान मंजूर की गई वितरण स्कीमों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि तक के ऋण वितरण के 14 वर्षों बाद 8,466 करोड़ रुपए की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। पात्रता हेतु पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से जुड़े पैरामीटरों की प्रगति से जुड़ी होती हैं ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रसार

81. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 से अब तक राज्यवार कितने ग्रामों/बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गत कई वर्षों से विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल) को निःशुल्क कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को 2015-16 तक एल.टी. लाइन बिछाकर विद्युत कनेक्शन मुहैया करा दिए जाएंगे और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना सृजन एवं घरेलू विद्युतीणकरण के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की है, जिसमें ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने की योजना है। आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत, दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में, 1,12,287 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 3.71 लाख विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण तथा 2.73 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत

की गई। 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, उत्तर प्रदेश सहित, 1,08,703 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य, 3.12 लाख विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा 2.20 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे **अनुबंध-I, II एवं III** पर हैं।

(ख) : आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में, दसवीं योजना के अन्तर्गत 27,761 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 2982 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण तथा 10,62,226 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 64 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 27,750 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य 2,982 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 10,62,226 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 64 विद्युतीकरण परियोजनाओं में से, 59 परियोजनाएं आज की तिथि तक पूरी की जा चुकी हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत ग्यारहवीं योजना के चरण-II के अन्तर्गत, 551 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 19,271 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण तथा 8,57,317 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने को शामिल करते हुए 22 परियोजनाएं भी संस्वीकृत की जा चुकी हैं। 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 39 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य, 117 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 5,219 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेशन जारी किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा संस्वीकृत क्षेत्र और बीपीएल घरों की इच्छा के अनुसार, पात्र बीपीएल घरों को जारी किए जाते हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्य-वार और वर्ष-वार उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	कवरेज	उपलब्धि										31.10.2014 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.10.2014 की स्थिति के अनुसार)		
1	आंध्र प्रदेश*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2096	0	0	0	0	215	464	634	387	282	45	2027	97
3	असम	8427	0	0	84	651	1198	4086	1810	190	125	148	8292	98
4	बिहार	24294	1600	8415	3347	3098	2584	1937	1048	701	206	10	22946	94
5	छत्तीसगढ़	1731	0	0	0	50	48	77	682	214	164	48	1283	74
6	गुजरात*	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हरियाणा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	95	0	0	0	0	0	26	52	5	0	8	91	96
9	जम्मू व कश्मीर	237	0	0	0	46	22	45	35	28	27	5	208	88
10	झारखण्ड	18615	0	0	1259	4933	7088	3901	724	181	47	3	18136	97
11	कर्नाटक	58	47	0	0	11	0	1	2	1	-4	0	58	100
12	केरल*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	879	0	0	15	69	5	187	228	92	98	70	764	87
14	महाराष्ट्र*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	882	0	0	36	57	35	143	345	0	0	0	616	70
16	मेघालय	1867	0	0	0	90	47	13	1022	482	144	21	1819	97
17	मिजोरम	145	0	0	0	0	0	36	53	5	13	7	114	79
18	नागालैंड	105	0	0	0	0	14	43	22	9	4	0	92	88
19	ओडिशा	14431	0	0	0	1427	5870	5890	1039	119	84	1	14430	100
20	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21	राजस्थान	4226	230	765	633	158	773	1258	182	138	18	18	4173	99
22	सिक्किम	25	0	0	0	0	0	20	5	0	0	0	25	100
23	तमिलनाडु*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तेलंगाना*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	148	0	0	0	0	13	65	49	16	1	0	144	97
26	उत्तर प्रदेश	28312	7503	16620	2862	695	56	23	0	3	-12	39	27789	98
27	उत्तराखण्ड	1512	87	798	341	175	80	28	2	0	0	0	1511	100
28	पश्चिम बंगाल	4202	352	2108	724	596	326	63	0	16	0	0	4185	100
	कुल	112287	9819	28706	9301	12056	18374	18306	7934	2587	1197	423	108703	97

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में, इन राज्यों द्वारा कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रस्तावित नहीं था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की राज्य-वार और वर्ष-वार उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	उपलब्धि										कवरेज	31.10.2014 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.10.2014 की स्थिति के अनुसार)			
1	आंध्र प्रदेश#	0	0	5614	11018	2836	1995	4099	965	-625	-1	16155	16155	100
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	134	388	303	220	250	33	1408	1328	94
3	असम	0	0	175	655	1942	5887	3013	618	354	108	12900	12752	99
4	बिहार	0	0	0	66	991	2065	1145	830	643	765	18622	6505	35
5	छत्तीसगढ़	0	0	296	1213	2606	4653	1744	1756	1934	644	16114	14846	92
6	गुजरात	0	625	622	890	1886	3487	6947	1860	-195	22	16176	16144	100
7	हरियाणा	0	0	15	1150	868	106	605	1932	272	189	5910	5137	87
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	730	329	0	0	9475	-1315	1015	12093	10234	85
9	जम्मू व कश्मीर	0	0	169	355	778	404	674	443	328	23	3247	3174	98
10	झारखण्ड	0	0	619	1358	1995	941	592	224	57	0	6085	5786	95
11	कर्नाटक	350	8000	9404	2606	1202	2095	918	100	-962	233	24078	23946	99
12	केरल	0	0	0	18	11	8	0	144	428	242	1272	851	67
13	मध्य प्रदेश	0	0	50	2610	2398	5899	6985	5992	4773	1800	48635	30507	63
14	महाराष्ट्र	0	0	1080	2943	3136	17283	8086	4185	-906	265	36464	36072	99
15	मणिपुर	0	0	13	56	30	147	155	161	23	0	1378	585	42
16	मेघालय	0	0	0	117	600	344	476	686	667	24	3145	2914	93
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	196	142	8	-6	97	570	437	77
18	नागालैंड	0	0	0	0	81	296	348	344	41	3	1170	1113	95
19	ओडिशा	0	0	0	1445	4724	8838	6200	3464	1677	392	27213	26740	98
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0		6030	0	6580	6030	92
21	राजस्थान	0	570	7849	5835	4417	7348	3064	4011	182	37	33961	33313	98
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	325	50	8	6	16	413	405	98
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	4862	5130	-319	0	0	10402	9673	93
24	तेलंगाना	मौजूद नहीं									0	9746	9746	100
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	47	192	224	154	35	0	658	652	99
26	उत्तर प्रदेश	0	0	448	1574	719	214	27	0	0	117	22253	3099	14
27	उत्तराखण्ड	0	2332	2898	1838	1049	572	339	193	243	1284	10790	10748	100
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2217	8442	7698	4130	1022	51	24208	23560	97
	कुल	350	11527	29252	36477	34996	76987	58964	41584	14956	7359	371646	312452	84

वर्ष 2005-06 से 2013-14 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की उपलब्धि सहित।

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल कनेक्शनों के राज्य-वार और वर्ष-वार जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन

क्रम सं.	राज्य	कवरेज	उपलब्धि										संचयी उपलब्धि (31.10.2014 की स्थिति के अनुसार)	उपलब्धि प्रतिशतता
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.10.2014 की स्थिति के अनुसार)		
1	आंध्र प्रदेश#	1997962	0	226654	606750	945368	566518	258751	98232	50570	-2443	-141	1997962	100
2	अरुणाचल प्रदेश	53312	0	0	0	0	967	9205	11474	7140	18762	1554	49102	92
3	असम	1270814	0	0	0	32718	189816	352237	232519	101260	204904	51122	1164576	92
4	बिहार	5448300	487	2724	64609	474277	560985	641016	405736	201081	106007	71354	2528276	46
5	छत्तीसगढ़	1268165	0	0	15302	75592	145990	196552	481971	64504	69538	33782	1083231	85
6	गुजरात	841219	0	10373	67944	116310	85931	420126	102134	26729	11672	0	841219	100
7	हरियाणा	220605	0	0	6907	16930	69453	90535	10617	19	5432	-720	199173	90
8	हिमाचल प्रदेश	17494	0	0	0	392	148	3637	5901	5200	927	450	16655	95
9	जम्मू व कश्मीर	80021	0	0	4062	3924	14163	8452	13413	9072	14276	1717	69079	86
10	झारखण्ड	1470260	0	0	2826	243830	555289	359213	111597	26070	11608	4500	1314933	89
11	कर्नाटक	923595	12268	107047	255421	226046	134949	48861	49604	24640	16560	13603	888999	96
12	केरल	125598	0	0	6596	3394	6131	1117	0	35755	60229	4393	117615	94
13	मध्य प्रदेश	1838849	0	0	1099	76026	75477	211816	352976	244422	180737	107267	1249820	68
14	महाराष्ट्र	1226185	0	0	56287	145715	429026	403387	126317	21148	32709	5346	1219935	99
15	मणिपुर	107369	0	0	1300	2056	1640	4397	19421	37	807	24	29682	28
16	मेघालय	109387	0	0	0	1264	17832	12880	30792	22727	18262	456	104213	95
17	मिजोरम	30917	0	0	0	0	378	8129	6236	401	4096	518	19758	64
18	नागालैंड	74064	0	0	0	0	4368	13434	10712	9048	8237	767	46566	63
19	ओडिशा	2883902	0	0	72	144056	650678	1435007	518324	78003	38896	5460	2870496	100
20	पंजाब	102176	0	0	0	0	19507	28890	5528	26479	20000	0	100404	98
21	राजस्थान	1263735	0	9236	246142	237727	208695	255939	85783	97324	17163	5432	1163441	92
22	सिक्किम	12108	0		0	0	66	7121	2179	417	346	1442	11571	96
23	तमिलनाडु	525571	0		0	296	383533	115044	4083	-1754	0	0	501202	95
24	तेलंगाना	752297	मौजूद नहीं									0	752297	100
25	त्रिपुरा	117163	0	0	0	0	22085	36886	22015	18516	16383	1272	117157	100
26	उत्तर प्रदेश	1919543	4060	251628	191576	251575	157263	15818	172574	3037	14695	5219	1067445	56
27	उत्तराखण्ड	261100	0	21539	61642	50111	72382	19596	5288	4035	29000	-2493	261100	100
28	पश्चिम बंगाल	2310299	0	26572	32647	37181	345198	925309	559476	220661	62927	7599	2217570	96
कुल		27252010	16815	655773	1621182	3084788	4718468	5883355	3444902	1296541	961730	319923	22003477	81

वर्ष 2005-06 से 2013-14 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त उपलब्धि सहित।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-82

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

भारत और नेपाल के बीच विद्युत क्षेत्र सहयोग

82. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में भारत और नेपाल की सरकारों के बीच विद्युत क्षेत्र सहयोग के संबंध में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में भारत और नेपाल की सरकारों के बीच हुए विद्युत परियोजना करारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन करारों के बाद कुल कितनी क्षमता के उत्पादन होने की संभावना है और इसकी समय-सारणी क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और क्या यह कार्य सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति से होगा या संयुक्त उद्यम आदि से होगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ । नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच "इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड क्रॉस-बार्डर ट्रान्समिशन इन्टरकनेक्शन एण्ड ग्रिड कनेक्टिविटी" पर सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, नेपाल सरकार एवं सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2014 को काठमाण्डु, नेपाल में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार से भारत और नेपाल के बीच सीमा पार विद्युत पारेषण और विद्युत व्यापार सुदृढ़ होगा।

(घ) और (ङ) : संभावित कुल उत्पादन क्षमता और शामिल की जाने वाली राशि दिनांक 21.10.2014 को उपर्युक्त करार हस्ताक्षरित का भाग नहीं है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा बकाया धनराशि की वसूली

83. श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी ने यह कहा है कि वह उन वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति करना रोक देगी जो अपनी बकाया धनराशि अदा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है तथा एनटीपीसी को कुल कितनी बकाया धनराशि देय है; और

(ग) विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए एनटीपीसी द्वारा कौन-कौन से तरीके अपनाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : बकाया देय धन राशि के भुगतान की अदायगी नहीं करने की स्थिति में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) विनियम, 2010 में यह व्यवस्था की गई है कि उत्पादन कंपनी वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति नियंत्रित/बंद कर सकती है। वितरण कंपनियों द्वारा बकायों के भुगतान की अदायगी नहीं करने की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर कार्रवाईयां की जाती हैं ।

(ख) : आज की तारीख तक, एनटीपीसी को विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ग) : एनटीपीसी द्वारा लाभ ग्राहियों/राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर भुगतान के मामले में सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लाभ ग्राहियों द्वारा भुगतान न किए जाने/अदायगी नहीं किए जाने के मामले में सीईआरसी के विनियमों के अनुसार विद्युत आपूर्ति का नियंत्रण किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य

84. श्री रामदास अठावलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कर्जों पर ब्याज राजसहायता देने का कोई फैसला किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने उन शेष गांवों और वासस्थलों जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है, के विद्युतीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को जारी रखने को अनुमोदित किया है । आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 12वीं योजना में 12468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 2,31,935 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण, 5,39,993 वासस्थलों का विद्युतीकरण और 1.33 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने सहित 273 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है ।

(ग) और (घ) : आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार परियोजना लागत का 90% पूंजी सब्सिडी के रूप में दे रही है और परियोजना लागत का शेष 10% अपने संसाधनों/वित्तीय संस्थानों (जिनमें आरईसी शामिल है, से ऋण के जरिए राज्यों द्वारा दी जा रही है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-85

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट
(यूएमपीपी)

85. श्रीमती कानीमोझीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के चेय्यूर में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस परियोजना के शुरू होने में विलंब के कारण लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या तमिलनाडु में और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : तमिलनाडु में चेय्यूर यूएमपीपी के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आर एफ क्यू) दिनांक 26.09.2013 को जारी किया गया था। अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) 27.12.2013 को जारी किया गया था । आर. एफ. पी. दिनांक 22.12.2014 को प्रस्तुत की जानी निर्धारित है।

(ख) : उपर्युक्त एसपीवी के अन्तरण के पश्चात परियोजना को सफल बोलीकर्ता द्वारा चालू किया जायेगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा परियोजना को पूरा करने की लागत का आकलन किया जायेगा।

(ग) : आरएफक्यू संशोधित मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के आधार पर जारी किया गया था और कुछ अर्हताप्राप्त बोलीकर्ताओं ने यह कारण बताते हुए समय विस्तार की मांग की कि आकार, जटिलता, शामिल भिन्नताओं की संख्या और परियोजना के स्वरूप के कारण कार्य में परिकल्पित समय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक समय लग रहा है।

(घ) : राज्य सरकार ने नागापट्टिनम जिले में एक अन्य यूएमपीपी की स्थापना हेतु अनुरोध किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

गैस के मूल्य के कारण विद्युत प्रशुल्कों में वृद्धि

86. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युत की दरें बढ़ जाएंगी;

(ख) क्या गैस के मूल्य में वृद्धि के कारण इस बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस वृद्धि का मुकाबला करने के लिए आम आदमी की किस प्रकार क्षतिपूर्ति करेगी; और

(घ) क्या सरकार आम आदमी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुचारू और सस्ती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ईंधन की कीमत (गैस सहित) विद्युत प्रशुल्क का हिस्सा होती है। अतः गैस के मूल्य में वृद्धि का गैस आधारित विद्युत स्टेशनों से विद्युत की उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन लागत में वृद्धि प्रत्येक संयत्र के लिए विशेष प्रचालनात्मक पैरामीटरों के आधार पर संयत्र दर संयत्र भिन्न होगी।

(ग) और (घ) : वितरण कंपनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उल्लिखित सिद्धांतों और उसके अंतर्गत तैयार की गई नीतियों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के संबंध में सीधे नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उपयुक्त नीति कार्यढाँचा और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था में कुशलता को बढ़ावा दे रही है और उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की कुल लागत कम करने के विचार से वितरण एवं पारेषण अवसंरचना को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क की खोज पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले बल सहित ये उपाय प्रशुल्क की दरों को कम करने की दिशा में योगदान देते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क नीति में प्रावधान है कि राज्य सरकार कुछ उपभोक्ताओं को अथवा एक उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है और इसके लिए यूटिलिटियों को अग्रिम रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-87

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

अंतर क्षेत्रीय ग्रिडों का सुदृढ़ किया जाना

87. श्री अम्बेथ राजनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पांच ग्रिडों के अंतर-क्षेत्रीय संयोजनों को सुदृढ़ करने में अभी तक कठिनाइयों का सामना कर रही है, जिससे एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में विद्युत का पारेषण बाधित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में विद्युत के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अंतर-क्षेत्रीय ग्रिड संयोजनों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में, सभी क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को सिंक्रोनस मोड में प्रचालित किया जा रहा है। इस प्रकार, सम्पूर्ण राष्ट्र एक ग्रिड के रूप में प्रचालनरत है। दिनांक 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार, अन्तर-क्षेत्रीय लिंको की कुल पारेषण क्षमता 44250 मेगावाट है। 12वीं योजना के अंत तक अन्तर-क्षेत्रीय क्षमता को 68050 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-88

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

केरल को विद्युत आपूर्ति

88. श्री जॉय अब्राहमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से केरल को विद्युत की बार-बार अनियमित आपूर्ति होने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से इस राज्य को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : अन्तर-राज्य उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस) से विद्युत के आवंटन की पूर्ण मात्रा केरल राज्य के लिए निर्धारित की गई है। यद्यपि, दक्षिणी क्षेत्र में संबंधित पारेषण लाइनों में उपलब्ध अन्तरण क्षमता की बाधाओं के कारण विद्युत प्रवाह की एक सीमा है। अन्तरण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) 765 केवी सिंगल सर्किट की दो अति उच्च क्षमता वाली रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइनों का निर्माण एवं चालू करना।
(ii) इसके अतिरिक्त, 400 केवी कोझीकोड-मैसूर डी/सी पारेषण लाइन और एडमॉन (केएसईबी)-मुवात्तुपुझा (कोचीन) पारेषण लाइनों के साथ-साथ अन्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पारेषण लाइनों का निर्माण करके पारेषण क्षमता में वृद्धि करना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-89

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश में अविद्युतीकृत गांव

89. श्री जुगुल किशोरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में ऐसे भी गांव हैं जहां पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कौन-से कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के लिए, अप्रैल, 2005 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन एवं घरों को विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम" आरंभ किया है । आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 10वीं योजना में उत्तर प्रदेश में राज्य डिस्कामों द्वारा यथा प्रस्तावित 64 परियोजनाएं (65 जिलों में) स्वीकृत की गई थीं जिनमें 27,761 गैर-विद्यीकृत गांवों का विद्युतीकरण शामिल था । इन जिलों में विद्युतीकरण कार्यों को पहले ही पूरा किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत, 11वीं योजना में राज्य डिस्काम द्वारा यथा प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत 22 अनुपूरक परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें 551 गैर-विद्युतीकरण गांवों का विद्युतीकरण शामिल था ।

भारत सरकार ने 100 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों और वासस्थलों के विद्युतीकरण हेतु आरजीजीवीवाई को 12वीं योजना में जारी रखने का अनुमोदन किया है । आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 12वीं योजना में उत्तर प्रदेश में राज्य डिस्काम द्वारा यथा प्रस्तावित 64 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 868 गैर-विद्युतीकरण गांवों का विद्युतीकरण शामिल है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-90

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत की कमी

90. श्री पी. राजीवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत की अभी कितनी कमी है;

(ख) क्या मंत्रालय ने देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या देश में पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत की कमी, विद्युत की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हुए राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है। अप्रैल, 2014 से अक्तूबर, 2014 तक राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालू वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 4.1% और 4.7% है।

(ख) और (ग) : जी, हां।

(घ) : वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन 967150.3 मिलियन यूनिट (एमयू) था जो कि वर्ष 2012-13 के उत्पादन की तुलना में 55093.6 एमयू अधिक अर्थात 912056.7 एमयू है। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य-वार मासिक एवं कुल संचयी उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	अप्रैल-मार्च के दौरान उत्पादन (एमयू)	
		2013-14	**2012-13**
एनआर		**270695.2**	**261008.4**
	चण्डीगढ़	-	-
	दिल्ली	8637.67	10740.93
	हरियाणा	26374.22	25416.04
	हिमाचल प्रदेश	21680.66	20331.49
	जम्मू एवं कश्मीर	12426.79	12485.81
	पंजाब	20731.49	21938.16
	राजस्थान	45851.36	42365.83
	उत्तर प्रदेश	111843.01	104346.72
	उत्तराखण्ड	11025.01	12438.79
	बीबीएमबी	12125.01	10944.67
डब्ल्यूआर		**322716.9**	**302182.8**
	छत्तीसगढ़	70930.12	68115.77
	गोवा	241.32	245.41
	गुजरात	97198.69	90991.22
	मध्य प्रदेश	59646.87	50695.53
	महाराष्ट्र	94699.94	92134.91
एसआर		**206334.3**	**191906**
	आंध्र प्रदेश	85428.09	87167.25
	कर्नाटक	49188.73	43946.42
	केरल	9249.8	6867.66
	पुडुचेरी	256.97	230.76
	तमिलनाडु	62210.7	53693.92
ईआर		**152226.2**	**143729.2**
	अण्डमान निकोबार	171.49	135.81
	बिहार	14939.36	14707.45
	डीवीसी	28115.29	26277.21
	झारखण्ड	14345.18	11520.07
	ओडिशा	45639.6	41663.62
	सिक्किम	2945.38	2596.5
	पश्चिम बंगाल	46069.88	46828.54
एनईआर		**9579.81**	**8435.71**
	अरुणाचल प्रदेश	980.94	1239.94
	असम	4365.22	4202.29
	मणिपुर	639.84	580.41
	मेघालय	981.61	774.77
	नागालैंड	245.71	213.34
	त्रिपुरा	2366.49	1424.96
	मिजोरम	-	-
आयात		**5597.9**	**4794.5**
	भूटान (आयात)	5597.9	4794.5
सकल योग		**967150.3**	**912056.7**

1. सीईए केवल परंपरागत स्रोतों (ताप, जल एवं न्यूक्लियर) से उत्पादन की निगरानी करता है।

2. 25 मेगावाट से अधिक उत्पादन वाले स्टेशनों की 01.04.2010 से निगरानी नहीं की जा रही है।

टिप्पणी: उक्त दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र) के कुल उत्पादन को दर्शाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-91

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

दक्षिण एशियाई देशों के साथ एकीकृत विद्युत ग्रिड

91. श्रीमती रेणुका चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत को अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने के लिए कोई एकीकृत विद्युत ग्रिड स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ प्रभावी विद्युत व्यापार समझौता करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में, भारत का विभिन्न सीमापार पारेषण लिंकों के माध्यम से बहुत से दक्षिण एशियाई देशों अर्थात भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ पारेषण इन्टरकनेक्शन है। प्रत्येक देश के साथ पारेषण कनेक्शन का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुबंध** में हैं। जहां तक व्यवहार्य होगा, अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ प्रभावोत्पादक विद्युत व्यापार व्यवस्था के लिए और अधिक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क. इण्डो-नेपाल

मौजूदा भारत-नेपाल सीमा पार प्रचालनरत अन्तर-संबंध सम्पर्क नीचे दिए गए हैं:

बिहार (बीएसपीटीसीएल)-नेपालः

132 केवी लाइन

1. कटैया-कुसहा एस/सी
2. रामनगर-गण्डक/सूरजपुरा (नेपाल) एस/सी

33 केवी लाइन

3. कटैया-इनर्वा (बिराटनगर) एस/सी (सेवा में नहीं है)
4. कटैया-राजबिराज एस/सी
5. जयनगर-सिरहा (विष्णुपुर) एस/सी
6. सीतामढ़ी-जलेश्वर एस/सी
7. रक्सौल-बीरगंज एस/सी

उत्तर प्रदेश (यूपीपीसीएल)-नेपालः

33 केवी लाइन

1. नानपारा-नेपालगंज एस/सी लाइन

उत्तराखण्ड (यूपीसीएल)-नेपालः

11 केवी लाइन

1. पिथौरागढ़-बैताडी लाइन
2. धारचुला-जलजीबे लाइन
3. धारचुला-पीपली लाइन

<u>एनएचपीसी-नेपालः</u>

132 केवी लाइन

1. टनकपुर एचईपी-महेन्द्रनगर एस/सी लाइन

<u>ख. इण्डो-बंगलादेश</u>

1. **मौजूदा सीमापार लिंक (सिंक्रोनस मोड में)**

- बहरामपुर (भारत)-भेड़ामारा (बंगलादेश) 400 केवी डी/सी लाइन

<u>ग. इण्डो-भूटान</u>

भारतीय और भूटान ग्रिड निम्नलिखित पारेषण लिंकों के माध्यम से सिंक्रोनस मोड पर प्रचालित की जाती हैं।

चुखा एचईपी (336 मेगावाट):

- चुखा (भूटान)-बीरपारा 220 केवी डी/सी (भारत/पश्चिम बंगाल)
- चुखा (भूटान)-बीरपारा (पश्चिम बंगाल) वाया सिंघीगांव (भूटान) 220 केवी एस/सी

कुरीछु एचईपी (60 मेगावाट):

- कुरीछु (भूटान)-जिलेफू (भूटान)-सालाकाटी (असम) 132 केवी एस/सी

ताला एचईपी (1020 मेगावाट):

ताला (भूटान)-सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) 400 केवी 2xडी/सी लाइन (भूटान में मालबेस एस/एस पर डी/सी लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ किया गया है)।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-92

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य

92. श्री देवेंदर गौड टी.:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष मात्र 11,000 मेगावाट क्षमता की ही वृद्धि की गई है;

(ख) इस दर के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88,000 मेगावाट क्षमता की वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार मंत्रालय की करने की योजना है; और

(ग) कोयला ब्लॉकों के रद्द हो जाने के मद्देनजर मंत्रालय की संयंत्रों को कोयला किस प्रकार प्रदान करने तथा 12वीं योजना के लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार करने की योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र विद्युत कंपनियों द्वारा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि इस प्रकार है:

वर्ष	**जोड़ी गई क्षमता(मेगावाट)**
2011-12	11971
2012-13	11257.5
2013-14	11884
कुल	**35112.5**

क्षमता अभिवृद्धि हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) लक्ष्य 88,537 मेगावाट है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र से 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र से 15530 मेगावाट और निजी क्षेत्र से 46,825 मेगावाट शामिल है। 31.10.2014 तक कुल क्षमता अभिवृद्धि लगभग 48,026 मेगावाट है, जो कि लक्ष्य का 54.2% है।

(ग) : राष्ट्रीय हित में देश की मांग के अनुसार, कोयला खनन प्रचालनों और कोयले के उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा इससे संबद्ध अथवा इसके अनुषंगिक मामलों के मद्देनजर सफल बोलीदाताओं और आबंटियों को खनन पट्टे के साथ-साथ अधिकार, शीर्षक और हित को निहित करने और कोयला खानों के आबंटन की व्यवस्था करने और इस भूमि पर अधिकार, टाइटिल एवं हिताधिकार प्रदान करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया गया था।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-93

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण लाइनों का उपयोग

93. श्री सालिम अन्सारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी. जी. सी. आई. एल.) ने विद्युत पारेषण लाइनों की उपयोगिता का आकलन करने हेतु कोई भी तंत्र स्थापित नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप 'संकुलन' और 'अतिरेक' वाले क्षेत्र उभरे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'संचयी पारेषण क्षमता' और 'संचयी अंतरण क्षमता' के बीच बड़ा अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की एक सहायक कम्पनी पावर सिस्टम आपरेशन कम्पनी (पोसोको) विद्युत पारेषण लाइनों की उपयोगिता का नियमित आकलन करती है। यह केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न पारेषण कारीडोरों में कुल अन्तरण क्षमता (टीटीसी), उपलब्ध अन्तरण क्षमता (एटीसी) और अन्तरण विश्वसनीयता मार्जिन (टीआरएम) की गणना करके किया जाता है। देश में विकसित की जा रही पारेषण प्रणाली में भी पोसोको की सिफारिश पर विचार किया जाता है ताकि पारेषण कारीडोरों में व्यस्तता को समाप्त अथवा और कम किया जा सके।

(ग) और (घ) : जहां तक कुल अन्तरण क्षमता और उपलब्ध अन्तरण क्षमता के बीच अन्तर का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित ग्रिड प्रचालन मानकों को ध्यान में रखते हुए एटीसी की गणना की जाती है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पारेषण ग्रिड विभिन्न क्षमताओं अनेक पारेषण लाइनों की एक अन्तर-संबंधी मेश नेटवर्क है और एटीसी में ग्रिड से जुड़ी सभी पारेषण लाइनों की वोल्टेज स्थिरता और कोणीय स्थिरता जैसी बाधाओं का ध्यान रखा जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-94

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है ।

बिजली उत्पादन और वितरण हेतु मानक

94. श्री नरेश अग्रवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिजली उत्पादन और वितरण के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच क्या-क्या मानक तय हैं;

(ख) केंद्र किन-किन परिस्थितियों में राज्यों को बिजली देता है; और

(ग) राज्यों को बिजली देने के लिए केंद्र की शर्तें क्या होती हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन करने के मानकों का ब्यौरा **अनुबंध** पर है। तदनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है। 85% विद्युत निश्चित आबंटन के रूप में आबंटित की जाती है। केंद्र सरकार के अधिकार पर रखी गई, सीजीएस की शेष बची 15% अनाबंटित विद्युत के आबंटन में, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपातिक स्थितियों, राज्यों की संबंधित विद्युत आपूर्ति स्थिति इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन विद्युत के आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात 85% का निश्चित आबंटन तथा तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटन किए जाने के लिए 15% अनाबंटित विद्युत।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (निशुल्क नहीं) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देश उत्पादन स्टेशनों, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए पर हस्ताक्षर हुए हैं, और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए लागू होते हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार पर रखने का और क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार का वितरण नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी किया गया है।

****